न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 20/2024 राजस्व वाद

01. शोभालाल पिता रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. चांदी पुत्री रामा गुर्जर आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. अमरचन्द पिता नारायण लाल गुर्जर आयु वयस्क निवासी–रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।

——— वादी

बनाम

01. सुखालाल पिता उदयराम सुथार आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. बालु पिता भुरा सुथार आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. महावीर पिता बंशीलाल सुथार आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. कमला देवी पत्नि शंकर लाल सुथार आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. रामा पिता उदा सुथार आयु वयस्क निवासी रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगणगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

उपस्थित :–

01. श्री मनोहरलाल सेन ——अधिवक्ता वादी
02. एकपक्षीय– ——प्रतिवादीगण संख्या 01 एवं 05
03. प्रदीप कुमार व्यास ——प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04
04. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 06

:: निर्णय ::

दिनांक– 08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगणगण के विरुद्व धारा 183 आर.टि. एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1427/571 रकबा 0.5059 हैक्टयर भुमि, स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज चली आ रही है। वादीगण वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 115/2019 राजस्व प्रार्थनापत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 19.10.2020 को हुआ, जिसकी जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 06 को होने पर आराजी नम्बर 1427/571 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा कब्जा कर लिया, जिससे दिनांक 07.06.2023 को उक्त आराजी पत्थरगढी गिरदावर व पटवार हल्का द्वारा मौका निरीक्षण कर की गयी, जिसमे प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 08 का उक्तानुसार अवैध कब्जा पाया गया। वादीगण की आराजी से प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का कोई हक अधिकार नही है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये गये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 01 लगायत 05 ने कोई ध्यान नही दिया व अन्तिम बार वादी ने ने दिनांक 03.03.2023 को उनके द्वारा भूमि पर किये गये कब्जे को छोड़कर, उक्त भूमि का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 वादी के साथ लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने वादी को धमकी दी कि वादी की मर्जी आये जो कर लेना , प्रतिवादीगण संख्या 01 एक लगायत 05 दो उक्त आराजीयात से कब्जा नही छोडेगे तथा वादी प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का कुछ नही बिगाड सकता है। इस कारण से वादी को यह वादपत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 एक लगायत 05 दो के विरुद्व इस आशय की कब्जेयाबी की डिकी सादिर फरमायी जाना आवश्यक है कि सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1427/571 रकबा 0.5059 हैक्टयर भुमि, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी सख्या 02 लगायत 04 के अधिवक्ता जवाव पेश नही करने से प्रतिवादी सख्या 02

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आधकार को कृषि भूमि ग्राम रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1427/571 रकबा 02.00 बीघा स्थित है।

अमरचन्द

लगायत 04 का जवाब बन्द किया गया लेकिन प्रतिवादी सख्या 01 एवं 05 बावजूद सूचना के उपस्थित ... से प्रतिवादी सख्या 01 एवं 05 एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट में भी वादीगण की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने सरहद रेह पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1427／571 रकबा 0.5059 हैक्टयर भुमि, प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)